समाहरणालय, बक्सर
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक :- 17-01/9 मु॰सा०सु०   दिनांक :- 25/04/2018

आदेश

विषय :– सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पुराने पेंशनधारियों जिन्हें भुगतान नहीं मिल रहा हो, उनको पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 25-04-2018 से 05-05-2018 तक अंतिम विशेष अभियान (शिविर) के आयोजन के संबंध में।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पेंशनधारियों को पेंशन राशि का भुगतान डी०बी०टी० के तहत् उनके बैंक खाते में किया जा रहा है। **105263** पेंशनधारियों को मार्च **2018** तक (अद्यतन) भुगतान कर दिया गया है। **31** मार्च **2018** तक कुल **118461** पेंशनधारी डिजिटाईज थे, जिनमें अभी भी **13198** पेंशनधारियों का पेंशन भुगतान किसी कारणवश नहीं हो पाया है। पेंशन भुगतान के संबंध में निम्न बातें प्रकाश में आयी है :–

1- पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे कई पेंशनधारियों के नाम पेंशन सूची में छूट गए है।

2- जिन पेंशनधारियों का नाम डिजिटाईज हुआ है उनमें भी **335** पेंशनधारियों का बैंक खाता नहीं खुला है एवं यदि बैंक खाता खोला भी गया है तो वह वेबसाईट पर अपलोड नहीं है।

3- **2997** डिजिटाईज खाता अभी तक **PFMS** द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। **PFMS** द्वारा खाता संख्या में त्रुटि होने पर, कारण सहित ई–लाभार्थी पोर्टल पर त्रुटि अंकित किया जाता है, जिसे निराकरण कर पुनः वेबसाईट पर अपलोड करना है, ताकि **PFMS** द्वारा स्वीकृत हो और उसमें पेंशन का भुगतान सुगमता से हो सके।

4- सभी **PFMS** द्वारा स्वीकृत खाता को प्रखण्ड द्वारा लॉक्ड किया जाना है। अभी भी **113993** स्वीकृत खातों के विरुद्ध मात्र **109020** खाता को ही प्रखण्ड द्वारा लॉक्ड किया गया है। प्रखण्ड द्वारा लॉक्ड नहीं करने के कारण भी **1838** खाता में पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है।

इस संबंध में पूर्व में दिनांक **05-01-2018** से **14-01-2018** तक तथा पुनः **27-01-2018** से **17-02-2018** तक प्रखण्ड स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, परन्तु शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायी है।

उपरोक्त समस्याओं पर प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार के पत्रांक **587** दिनांक **20-04-2018** द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में दिनांक **25-04-2018** से **05-05-2018** तक सभी प्रखण्ड कार्यालय में अंतिम रुप से विशेष शिविर का अयोजन निम्न निदेश के साथ करने का अदेश दिया जाता है।

1- शिविर में छुटे हुए पेंशनधारियों आवश्यक कागजात प्राप्त करते हुए ई–लाभार्थी पोर्टल पर डाटा डिजिटाईज्ड किया जाय एवं उक्त कागजात को अभिलेख के रूप में संधारित किया जाय। प्रत्येक प्रखण्ड में उक्त अवधि के लिए पंचायत/पंचायत समूहवार रोस्टर निर्धारित कर शिविर के संबंध में प्रचार–प्रसार कराया जाय ताकि कोई भी मामला छुटे नहीं।

2- प्रत्येक शिविर में इन्टरनेट सुविधा युक्त कम–से–कम चार कम्प्युटर सेट (ऑपरेटर सहित) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

3- प्रत्येक शिविर में आधार पंजीकरण हेतु अधिकृत आधार एजेंसी का एक काउन्टर लगाया जाय ताकि आवश्यकतानुसार आधार कार्ड बनाया जा सके अथवा उसमें कोई संशोधन किया जा सके।

4- इसी प्रकार प्रत्येक शिविर में बैंक खाता खोलने हेतु कम से कम एक काउन्टर की व्यवस्था की जाय।

5- छुटे हुए/भुगतान नहीं मिल रहे पुराने पेंशनधारियों को अपने दावा के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र यथा :–(क) पेंशन पासबुक अथवा स्वीकृत्यादेश की प्रति/ अथवा पूर्व में पेंशन प्राप्त होने का कोई अन्य प्रमाणिक साक्ष्य (ख) पेंशन प्राप्त करने हेतु बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति जिसमें नाम एवं बैंक खाता स्पष्ट अंकित हो (ग) आधार कार्ड अथवा कोई अन्य प्रमाणिक परिचय पत्र। जिसके पास आधार कार्ड अथवा बैंक खाता नहीं हो तो शिविर में ही कार्ड बनवाया एवं खाता खुलवाया जाय।

6- उपरोक्त प्रमाणक के आधार पर ई–लाभार्थी पोर्टल/भुगतान पंजी से जॉच कर ली जाय। सत्यापित योग्य पेंशनधारी का डाटा ई–लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड नहीं है, तो तत्काल ई–लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय।

7- वैसे पेंशनधारी जिनका आधार नहीं है उनका आधार पंजीकरण कर Enrollment ID को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय।

8- इस बात का ध्यान रखा जाय कि ई–लाभार्थी पोर्टल में पेंशनधारी का नाम, बैंक खाता एवं आधार में उनका नाम सामान हो, अन्यथा ई–लाभार्थी पोर्टल में दर्ज होने के बाद भी उनका भुगतान नहीं होगा। अतः शिविर में ऐसे मामलें में नामों के इस अंतर को दूर कर संबंधित अभिलेख (पेंशन पंजी/बैंक खाता/आधर कार्ड) में सुधार कर लिया जाय। पोर्टल में दर्ज मामलों में पंचायतवार **PFMS** अस्वीकृत सूची डाउनलोड कर तत्काल त्रुटि निराकरण करते हुए पुनः वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

9- इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि यदि कोई **80** वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी वृद्धावस्था पेंशन के साथ –साथ अन्य पेंशन यथा विधवा पेंशन/दिव्यांगता पेंशन के लिए भी योग्य हो तो उनको वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर विधवा पेंशन/दिव्यांगता पेंशन में दर्ज किया जाय। इसी प्रकार कोई पेंशनधारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के लिए योग्य हो तो उन्हें भारत सरकार की पेंशन योजना के तहत दर्ज किया जाय।

10- 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारी को वृद्धावस्था पेंशन के तहत् ही दर्ज किया जाय ताकि पेंशनधारी को अधिकाधिक पेंशन मिल सके।

11- PFMS द्वारा स्वीकृत परन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा **Lock** करने हेतु लंबित मामलों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बिना शिविर आयोजन की प्रतिक्षा किये अविलम्ब **Lock** किया जाय तथा तत्क्षण उसे सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा द्वारा भी Lock कर दिया जाय। इसमें एक दिन का भी विलम्ब नहीं किया जाय।

12- उपरोक्त शिविर के आयोजन के संबंध में समाचार पत्र, माईक, पोस्टर आदि की सहायता से सूचना दी जाय। शिविर की सूचना जन प्रतिनिधि यथा– मुखिया, वार्ड सदस्य, माननीय सांसद/विधायक/पार्षद एवं माननीय प्रभारी मंत्री को भी दी जाएगी। ।

13- शिविर में First Aid, पेय जल, सुरक्षा आदि की व्यवस्था संबंधित PHC, थाना एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

14- **सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी इस कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किये जाते है, जो अपना प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देंगे।**

15- **छुटे हुए/पूर्व से भुगतान प्राप्त कर रहे पेंशधारियों के लिए यह अंतिम शिविर होगा।**

सहायक निदेशक
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
बक्सर

जिला पदाधिकारी
बक्सर

ज्ञापांक 17-019 मु० /सा०सु०, दिनांक 25/04/2018

प्रतिलिपि :–जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, बक्सर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जिला – बक्सर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–Lead Bank Manager जिला – बक्सर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी – बक्सर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि इस कार्यक्रम के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में लगातार दिनांक 23 अप्रैल 2018 से 04 मई 2018 तक प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :–सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बक्सर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमरॉव को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-निदेशक DRDA को आधार पंजीकरण के संदर्भ में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-उप विकास आयुक्त -सह- वरीय पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-अध्यक्ष, जिला परिषद् बक्सर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सभी माननीय विधायक जिला - बक्सर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-वरीय प्रशासी पदाधिकारी SSUPSW को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-निदेशक, सामाजिक सुरक्षा बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :-माननीय प्रभारी मंत्री जिला - बक्सर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :-माननीय सांसद श्री अश्विनी कुमार चौबे को सादर सूचनार्थ समर्पित।

21/4/18

सहायक निदेशक
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
बक्सर
21/04/18

21/4/18

जिला पदाधिकारी
बक्सर